न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– **श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 148 / 2019
वाद दायरी दिनांक : 16 / 12 / 2019
निर्णय दिनांक : 11/11/2020

1. कमलेश पुत्र तेजाराम उर्फ तेजपाल जाति जाट निवासी झाग तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
2. मन्नी देवी पत्नि तेजाराम उर्फ तेजपाल जाति जाट निवासी झाग तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

—— वादीगण

बनाम

1. घीसी उम्र 26 साल पत्नि भागचन्द जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
2. ममता पत्नि राजवीर जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
3. सुमन पत्नि जीतराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
4. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – **श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी**
श्री रामरतन मीणा
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

श्री मुकेश बाना
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 11/11/2020

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 806 के आराजी खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

1307 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1308 रकबा 0.81 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.61 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 211 के आराजी खसरा नम्बर 1375 रकबा 2.18 हैक्टेयर कुल किता 01 कल रकबा 2.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 502 के आराजी खरा नम्बर 1313 रकबा 0.01 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1314 रकबा 1.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1369 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1372 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1373 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1377 रकबा 1.000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138/1 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1502 रकबा 0.56 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1639 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1642 रकबा 0.15 हैक्टयेर, खसरा नम्बर 1644 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 5.86 हैक्टेयर खाता संख्या 802 के आराजी खसरा नम्र 1389 रकबा 0.85 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.85 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 212 केक आराजी खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर, खाता संख्या 535 के आराजी खसरा नम्बर 1495 रकबा 2.16 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 2.16 हेक्टेयर भूमि वाके ग्राम झाग तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता/पति तेजाराम उर्फ तेजमल के नाम दर्ज है। हस्तगत प्रकरण में दर्ज विवादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 806 में हिस्सा 1/12, खाता संख्या 211 में हिस्सा 1/24, खाता संख्या 398 में हिस्सा 1/12, खाता संख्या 802 में हिस्सा 1/12 एवं खाता संख्या 535 में हिस्सा 2/27, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता/पति तेजमल उर्फ तेजाराम के नाम चला आ रहा है तथा वादीगण के पिता/पति तेजकरण के जीवनकाल में उक्त आराजीयात पर वादीगण के पिता तेजमल काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा तेजमल के स्वर्गवास के पश्चात उक्त विवादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में दर्ज विवादग्रस्त आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी पैतृक सम्पति है जिसका वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी है। दिनांक 25.01.2019 को वादीगण के पिता तेजाराम उर्फ तेजपाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादीगण के पिता तेजाराम को गांव में तेजमल के नाम से भी जाना जाता था। गांव में तेजाराम एवं तेजमल दोनो नामों से जाना जाता था। जिस कारण वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 806, 211, 502, 802, 212 में तेजमल दर्ज कर दिया

सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रैक) चूरू

गया। जबकि खाता संख्या 535 में तेजाराम दर्ज है तथा वादीगण के पिता के सभी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मृत्यू प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज तेजाराम के नाम से बने हुये है। हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजीयात में वादीगण हिस्सा 1/2–1/2 अर्थात बराबर बराबर की घोषणा करवाने के अधिकारी है चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने वादीगण के पिता/पति के स्वर्गवास के पश्चात मौखिक समझौते अनुसार अपना हिस्सा हकत्याग कर वादीगण को संभला दिया है तथा कब्जा वादीगण को बराबर संभला दिया गया है इसलिए वादीगण उक्त विवादित आराजीयात में जरिये विरासतन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त विवादित आराजीयात में वादीगण हिस्सा 1/2–1/2 हिस्से अनुसार अर्थात बराबर बराबर घोषणा करवाने के अधिकारी है। दिनांक 25.11.2019 को वादीगण ने अपने पिता/पति की मृत्यू उपरान्त विरासत का नामांतकरण दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार महोदय मौजमाबाद से सम्पर्क किया तो तहसीलदार महोदय ने विरासत का नामांतकरण तस्दीक करने से साफ इंकार कर दिया तथा न्यायालय में जाकर चाराजोही करने की हिदायत दी।

वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि हस्तगत प्रकरण के पेरा संख्या 1 में दर्ज आराजीयात में वादीगण को हिस्सा 1/2–1/2 अर्थात बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजीयात वर्णित वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वादीगण के हिस्से की आराजी में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न न स्वंय करें न बेदखल करे, न अन्य से करावें तथा न कब्जे काश्त से बेदखल करें तथा न ही उक्त आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल विक्रय आदि करें तथा राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। डिक्री की पालना हेतु तहसीलदारजी मौजमाबाद को लिखा जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 ने उपस्थित होकर वकालतनामा एवं राजीनामा पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने अपनी बहस में निवेदन कि मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077, नामान्तरकरण संख्या 432 की प्रतिलिपी, ग्राम पंचायत झाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, आधारकार्ड, पहचान–पत्र, राशनकार्ड की फोटो प्रति आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 806, 211, 502, 802, 212, 535 की आराजी खातेदार तेजाराम उर्फ तेजमल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसका स्वर्गवास हो चुका हैं मुताबिक सिजरा तेजाराम उर्फ तेजमल के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 विधिक वारिशान हैं, चूंकि तेजाराम उर्फ तेजमल के पक्षकारान विधिक वारिशान है, इसलिये कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त आरांजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 का बराबर–बराबर हक व हिस्सा बनता है, जिसको प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 ने राजीनामा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया है एवं डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जतायी है बल्कि पूर्ण सहमति प्रदान की हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 ने अपना हिस्सा अपने भाईयों अर्थात वादीगण के हक में छोडना राजीनामा में स्वीकार किया हैं। इस प्रकार बरूये राजीनामा विवादित आराजीयात में वादीगण का बराबर–बराबर 1/2–1/2 हिस्सा अनुसार खातेदारी प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि वादीगण अपने वाद–पत्र को साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं।

अतः वादीगण का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 806 के आराजी खसरा नम्बर 1307, 1308 कुल किता 02 कुल रकबा 1.6100 हैक्टेयर, खाता संख्या 211 के आराजी खसरा नम्बर 1375 कुल किता 01 कुल रकबा 2.18 हैक्टेयर, खाता संख्या 502 के आराजी खसरा नम्बर 1313, 1314, 1364, 1368, 1369, 1372, 1373, 1377, 138/1, 1502, 163, 1642, 1644 कुल किता 13 कुल रकबा 5.86 हैक्टेयर, खाता संख्या 802 के आराजी खसरा नम्बर 1389 कुल किता 01 कुल रकबा 0.85 हैक्टेयर, खाता संख्या 212 के आराजी खसरा नम्बर 1316 कुल किता 01 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर, खाता संख्या 535 के आराजी खसरा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

नम्बर 1495 कुल किता 01 कुल रकबा 2.1600 हैक्टेयर वाके ग्राम झाग, तहसील मौजमाबाद का वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11/11/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई - अंतिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू मुकाम

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S.)

कमलेश पुत्र तेजाराम उर्फ तेजपाल जाति जाट नि. झाग तह. मौजमाबाद जिला-जयपुर राज. (2) मन्नी देवी पत्नि तेजाराम उर्फ जयपाल जाति जाट नि. झाग तह. मौजमाबाद जिला जयपुर (राज.) बनाम धोली उम्र 26 साल पत्नि भागचन्द जाति जाट नि. किशनपुरा तह. मौजमाबाद जिला जयपुर राज. (2) ममता पत्नि शंकरीश जाति जाट नि. किशनपुरा तह. मौजमाबाद जिला-जयपुर राज. (3) सुमन पत्नि जीतराम जाति जाट दावा बावत दावा

मुकदमा नं. 148/2019 सन् (A) TDR M02.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी

व हाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री मुकेश बाना Adv.

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि ग्राम मौजमाबाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खा.सं. 806 के आराजी ख.नं. 1307, 1308 किता 02 कुल रकबा 1.600 हैक., खा.सं. 211 के आ.ख.नं. 1375 कुल किता 01 कुल रकबा 2.18 हैक्टे., खा.सं. 502 के आराजी ख.नं. 1313, 1314, 1364, 1368, 1369, 1372, 1373, 1377, 1381/1, 1502, 1642, 1644 कुल किता 13 कुल रकबा 5.86 हैक्टे. खा.सं. 802 के आ.ख.नं. 1389 कुल किता 01 कुल रकबा 0.27 कुल 0.85 हैक्टेयर, खाता सं. 212 के आराजी ख.नं. 1316 कुल किता 01 कुल रकबा 0.27 खा.सं. 535 के आराजी ख.नं. 1495 कुल किता 01 कुल रकबा 2.1600 हैक्टे. वाके ग्राम झाग तह. मौजमाबाद का वादीगण ~~मुद्दायलह~~ को बहिस्सा बराबर ~~बावत~~ बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरहे .... फीसदी .... सालाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 11 सन् 2020 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर (फा...)

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।